तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11/9/05	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त खसरा नम्बरान की तरमीम प्रार्थनापत्र के अनुसार करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि विक्रय होने से उक्त खसरा नम्बर के तीन टुकडे हुए है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में दो टुकडे है। जिससे नक्शा शीट में तरमीम तीन टुकडों में की जानी है। मैने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र बाबत ईन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 444 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुरा की संलग्न नक्शाट्रेस के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम करा राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करावें। डिक्री जारी की गयी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जगदीश आर्य) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

प्रकरण संख्या– 104/2019

उनवान

तहसीलदार, टोंक

–वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील टोंक।
2. बजरंगा पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील टोंक।
3. सोहनी पत्नि राधाकिशन जाति जाट निवासी पालडी तहसील टोंक।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– पैरोकार सरकार –वकील वादी

प्रार्थना–पत्र
बाबत दुरूस्ती ईन्द्राज

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादीगण** मिनजामिन मुद्दई रूबरू **वकील प्रतिवादीगण** मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत ईन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 444 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुरा की संलग्न नक्शाट्रेस के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम करा राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करावें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.09.2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीज़ान	100	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीज़ान	100	00

Scanned by CamScanner